UPMP010006192026

Presented on : 10-02-2026
Registered on : 12-02-2026
Decided on : 09-07-2026
Duration : 0 years, 4 months, 27 days

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी।
(Presided Over by Rupesh Ranjan)

Reg no 59/2026

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या– 20/2026

मधु उम्र लगभग 32 वर्ष पत्नी सन्देश कुमार पुत्री धारम सिंह यादव निवासी गुलाबपुर थाना कुरावली जिला मैनपुरी।

.... आवेदिका

बनाम

सन्देश बालिग पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम कुबेरपुर थाना दन्नाहार जिला मैनपुरी।

.... विपक्षी

09.07.2026

1– पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आज मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र पर सुना जा चुका है।

2– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र आवेदिका की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, '' वाद संख्या– 1011/2023 मधु बनाम सन्देश अंतर्गत धारा– 125 सी.आर.पी.सी. थाना कुरावली न्यायालय में लम्बित था। आवेदिका थाना कुरावली के पास की रहने वाली है। कुरावली से मैनपुरी की दूरी 20 कि.मी. है तथा मैनपुरी से करहल की दूरी 25 कि.मी. है। कुल मिलाकर कुरावली से मैनपुरी की लगभग दूरी 45–50 कि.मी. हो जाती है। आवेदिका मुकदमें की स्वयं ही पैरवी करती है, उसके साथ आने जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मुकदमा न्यायालय द्वारा करहल ग्राम न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया गया है, जिससे आवेदिका को पैरवी करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतः मु०नं०– 1011/2023 मधु बनाम सन्देश अंतर्गत धारा– 125 सी.आर.पी.सी. थाना कुरावली जिला मैनपुरी की पत्रावली को ग्राम न्यायालय करहल से स्थानान्तरित कर इस न्यायालय अथवा अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश मैनपुरी में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गई है। "

3– प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सम्बन्धित न्यायालय से आख्या मंगायी गयी। पीठासीन अधिकारी/ न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय करहल, मैनपुरी द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपनी आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार,'' ग्राम न्यायालय करहल में वाद संख्या– 1011/2023 मधु बनाम

सन्देश, अंतर्गत धारा– 125 दं०प्र०सं० थाना कुरावली इस न्यायालय में स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त हुयी एवं लम्बित है। उक्त पत्रावली थाना कुरावली से सम्बन्धित है। इस न्यायालय को थाना करहल से सम्बन्धित वादों को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है। ''

4– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि,'' वाद संख्या– 1011/2023 मधु बनाम सन्देश, अंतर्गत धारा– 125 दं०प्र०सं० थाना कुरावली की पत्रावली वर्तमान में ग्राम न्यायालय करहल में लम्बित है। आवेदिका थाना कुरावली की निवासिनी है तथा कुरावली से मैनपुरी की दूरी 20 कि.मी है तथा करहल की दूरी 45–50 किलोमीटर है। आवेदिका को करहल आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। **''वाद के सम्यक व त्वरित निस्तारण हेतु उक्त पत्रावली को किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक दृष्टिगोचर होता है।**

अतःवाद संख्या– 1011/2023 मधु बनाम सन्देश, अंतर्गत धारा– 125 दं०प्र०सं० थाना कुरावली की पत्रावली को ग्राम न्यायालय करहल से प्रधान न्यायाधीश(परिवार न्यायालय) में स्थानान्तरित किया जाता है। प्रार्थना–पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

8. आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

रूपेश रंजन

जिला एवम सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी।

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.07.09 17:30:06 +0530